

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/अवकाश/ 2275/2024


दिनांक : 07.07.2024

श्री अजिताभ आचार्य (RJ00174), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली को दिनांक 08.07.2024 से 12.07.2024 तक 05 दिनों का **उपार्जित अवकाश** दिनांक 07.07.2024 एवं 13.07.2024 से 14.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री आचार्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/37/2013/ 5342

दिनांक : 02.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली को उनके पत्रांक 93/24 दिनांक 24.06.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अजिताभ आचार्य (RJ0174), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली ।


02/07/2024
सहायक रजिस्ट्रार